नगर परिषद घुमारवीं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04/2012 से 03/2014

भाग–एक

पैरा 1 (क) <u>प्रारम्भिक</u> :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्च निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद घुमारवी, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आहरण एंव संवितरण अधिकारी के पद पर निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्रीमती रीता सहगल	01.04.2012 से 31.03.2014

कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्री संजय कुमार	01.04.2012 से 14.01.2012
2.	श्री प्रकाश चन्द	24.09.2012 से 17.02.2012
3.	श्री विनोद कुमार शर्मा	18.02.2012 से 31.03.2014

(ख) <u>नगर परिषद घुमारवीं जिला बिलासपुर के लेखों अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है</u> :–

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹लाखों में)
1.	स्थापना पर अनियमित व्यय	7	18.56
2.	कार पार्किंग के निर्माण कार्य में अनियमित/अधिक भुगतान व कम वसूली इत्यादि करना	8	9.81
3.	गृह कर व दुकानों के किराये की 31.03.2014 को वसूली योग्य	9	62.12

	शेष राशि		
4.	संविदाकार को परिषद द्वारा सीमैन्ट जारी न करने के फलस्वरूप हानि	10	4.37
5.	मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की वसूली योग्य राशि	11	0.48
6.	गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों की राशि का अधिक भुगतान	14	0.22
7.	अम्बेदकर भवन के निर्माण पर निष्क्रय व्यय	15	15.92
8.	रैहन बसेरा के नजदीक कार पार्किंग के निर्माण पर अपव्यय	17	25.00
9.	गृह कर की कम वसूली	18	1.24

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के ''परिशिष्ठ–क'' पर दर्शाई गई है यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

पैरा 2 वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेष के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 26.07.2014 से 23.08.2014 व दिनांक 20.02.2015 से 18.03.2015 तक के दौरान घुमारवी में सम्पन्न किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2012 व 03/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/2012 व 12/2013 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामो को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाये गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई

सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नही होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

पैरा 3 अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹32,400 बनता है। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 159, दिनांक 16.03.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं को अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने का आग्रह किया गया।

पैरा 4 वित्तीय स्थिति :–

नगर परिषद घुमारवीं के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2014 तक की वित्तीय स्थिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर निम्न विवरणानुसार थी :–

क्र0 सं0	विवरण	2012–13	2013–14
1)	प्रारम्भिक शेष	1,67,76,681	1,77,74,092
2)	अपने स्त्रोत से प्राप्ति	39,93,780	56,53,165
3)	सरकारी अनुदान	1,11,46,151	1,33,31,627
	कुल जोड	**3,19,16,612**	**3,67,58,884**
4)	वर्ष के दौरान व्यय	1,41,42,520	1,60,79,181
	अन्तशेष	**1,77,74,092**	**2,06,79,703**

पैरा 4.1 बैंक समाधान विवरणी

1)	रोकड़ बही के अनुसार 31.03.2014 को अन्तिम शेष	2,06,79,703
2)	(+) चैक जो जारी किए गए लेकिन 31.03.2014 तक भुगतान हेतु बैंक को प्रस्तुत नहीं किए गए (विवरण पैरा (4.2)	7,37,794
	कुल राशि	**2,14,17,497**
3)	31.03.2014 को बैंक खातों में शेष राशि (विवरण पैरा 4.3)	**2,14,17,497**

पैरा 4.2 नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक चैक जारी किए गए परन्तु 31.03.2014 तक इन चैकों को भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

क्र0 सं0	चैक संख्या	दिनांक	राशि
1)	316380	10.03.2014	2,400
2)	333158	31.03.2014	16,205
3)	333159	31.03.2014	10,208
4)	333161	31.03.2014	1,42,407
5)	333162	31.03.2014	17,014
6)	333163	31.03.2014	10,718
7)	333164	31.03.2014	1,57,199
8)	333165	31.03.2014	18,446
9)	333166	31.03.2014	11,810
10)	710233	31.03.2014	20.652
11)	710234	31.03.2014	13,011
12)	710235	31.03.2014	1,70,698
13)	710236	31.03.2014	20,384
14)	710237	31.03.2014	12,760
15)	316387	31.03.2014	91,660
16)	316388	31.03.2014	17,892
17)	316389	31.03.2014	4,330
		कुल योग	**₹7,37,794**

पैरा 4.3 दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न बैंकों में जमा राशियों का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्याः	31.03.2014 को शेष राशि
1)	ओ0बी0सी0	3271	53,70,792
2)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	4925	81,806
3)	ग्रामीण बैंक	1	83,527
4)	राज्य सहकारी बैंक	10544	31,39,343
5)	राज्य सहकारी बैंक	464	5,80,938
6)	राज्य सहकारी बैंक	19500	6,68,291
7)	ग्रामीण बैंक	23303	7,47,712
8)	ओ0बी0सी0 बैंक	428822	25,92,906

9)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	72900	36,25,497
10)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	70196	12,04,285
11)	एच0डी0एफ0सी0	6290	6,63,018
12)	राज्य सहकारी बैंक	729088	20,00,000
13)	केन्द्रीय बैंक	7054	1,00,000
14)	केन्द्रीय बैंक	—	1,83,692
15)	राज्य सहकारी बैंक	11010110997	3,75,690
		कुल योग	**₹2,14,17,497**

पैरा 4.4 <u>पैन्शन एवं उपदान निधि</u> :–

नगर परिषद घुमारवीं के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था :–

क्र0 सं0	**विवरण**	**2012—13**	**2013—14**
1)	प्रारम्भिक शेष	30,38,362	36,37,720
2)	वर्ष के दौरान प्राप्ति	4,66,912	4,88,961
3)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,32,446	79,157
	कुल योग	**36,37,720**	**42,05,838**
4)	वर्ष के दौरान व्यय	0	5,87,487
	अन्तशेष	**36,37,720**	**36,18,351**

<u>अन्तिशेष का विवरण</u>

1)	बैंक खाता सं0 12885 में सावधि जमा में जमा राशि		6,18,351
	सावधि जमा खाता सं0	**राशि**	
	1137514	25,00,000	30,00,000
	1137515	5,00,000	
		कुल राशि	**₹36,18,351**

पैरा 5 <u>अनुदान</u> :–

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2012—13 व 2013—14 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि व उसमें से किए गए व्यय का ब्यौरा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं द्वारा प्रेषित

आंकड़ों व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के उपरान्त निम्न प्रकार से था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ठ–''ख'' पर दिया गया है।

क्र0 सं0	विवरण	2012–13	2013–14
1)	प्रारम्भिक शेष	1,67,07,858	1,53,69,353
2)	अनुदान की प्राप्त राशि	1,11,46,151	1,33,31,627
	योग	**2,78,54,009**	**2,87,00,980**
3)	वर्ष के दौरान व्यय	1,24,84,656	1,34,71,271
4)	अन्तशेष	1,53,69,353	1,52,29,709

पैरा 5.1 दिनांक 31.03.2014 को सरकारी अनुदान की शेष राशि ₹152.30 लाख व्यय हेतु शेष :–

नगर परिषद द्वारा अवधि 01.04.2012 से 31.03.2014 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय व 31.03.2014 को पाये गए अन्तशेष तथा पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण परिशिष्ठ–''ख'' पर विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2012–13 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष राशि ₹1,67,07,858/– में से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹15,17,114/– व वर्ष 2013–14 के दौरान ₹40,50,979/– व्यय की गई थी। ₹89,65,733/– की राशि दिनांक 31.03.2014 तक व्यय नहीं की गई थी।

वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹1,11,46,151/–की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसमें से ₹62,59,645/– वर्ष 2012–13 के दौरान व ₹34,06,426/– वर्ष 2013–14 के दौरान व्यय की गई तथा ₹14,80,080/– की राशि 31.03.2014 को अनुपयुक्त थी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹1,33,316.27/–की राशि प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 2013–14 के दौरान ₹85,47,731/– व्यय की गई तथा ₹47,83,896/– दिनांक 31.03.14 को अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार 31.03.2014 को ₹1,52,29,709/– (₹89,65,733 + ₹14,80,080 + ₹47,83,896) की राशि अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार समयबद्ध व्यय किए जाने बारे ठोस पग उठाये जाएं अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित विभाग/सरकार को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

पैरा 6 सावधि निवेश :–

नगर परिषद घुमारवीं के लेखों के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को ₹76,22,688/– का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	निवेश की तिथि	सावधि जमा सं0	बैंक का नाम	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि
1)	19.10.13	428822	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स घुमारवीं	25,92,906	9%	10.10.14
2)	01.11.12	31723372900	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया घुमारवीं	36,25,497	9%	09.05.14
3)	01.11.12	31723370196	स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया घुमारवीं	12,04,285	9%	09.05.14
4)	02.11.12	2006046	राज्य सहकारी बैंक घुमारवीं	2,00,000	9%	02.11.14

सावधि जमा में निवेश की गई उपरोक्त राशियों को उनकी परिपक्तवता तिथि को भुनाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 7. स्थापना पर राशि ₹18.56 लाख का अनियमित व्यय :–

नगर परिषद घुमारवीं के श्रेणी वार स्वीकृत तथा भरे गए व रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ठ–''ग'' पर दिया गया है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान वेतन व अन्य भत्तों, भत्तों पर किए गए व्यय व कुल व्यय का अनुपात म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 53(1)सी में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। उपरोक्त नियम के अनुसार नगर परिषद का स्थापना व्यय कुल व्यय के 1/3 भाग से अधिक नही होना चाहिए। स्थापना व्यय का कुल व्यय व अधिक व्यय का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

वित्त वर्ष	कुल व्यय	स्थापन व्यय	स्थापना व्यय की प्रतिशतता	स्थापना पर कुल व्यय के 1/3 भाग के बराबर कितना व्यय किया जाना था	स्थापना पर अधिक व्यय
2012–13	1,41,42,520	57,45,035	40.62%	47,14,173	10,30,862
2013–14	1,60,79,181	61,85,025	38.46%	53,59,727	82,298
					₹18,56,160

निदेशक, शहरी विकास शिमला–02 के ज्ञापन संख्याः भू0एल0वी0–एच(ए)(7)–1/87–9237–9284, दिनांक 20.01.2001 द्वारा सभी कार्यकारी अधिकारियों व सचिवों को यह निर्देश दिए गए थे कि स्थापना व्यय को कुल व्यय के 1/3 भाग (या 33 प्रतिशत) तक ही सीमित रखा जाए लेकिन नगर परिषद द्वारा दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से अधिक किया गया जो कि एक गम्भीर वित्तीय मामला व अनियमितता है। स्थापना व्यय निर्धारित सीमा से अधिक करने बारे मामला निदेशक, शहरी विकास शिमला–02 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान मं लाया जाता है।

पैरा 8	**कार्य का नाम :**	**रैहन बसेरा भवन के नजदीक कार पार्किंग का निर्माण कार्य करना :–**
	संविदाकार का नाम :	**श्री राजेन्द्र पाल**
	अनुबन्ध संख्या :	**एम0सी0/जी0एम0आर0/वर्कस/2008–1081–1085, दिनांक 24.05.10**
	अनुबन्ध राशि :	**₹24,41,984/–**

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल से तीसरे चलत बिल तक की विस्तृत जाँच पड़ताल करने पर ₹9,80,665/– के अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान एवं कम वसूलियों के मामले व अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

पैरा 8.1 प्रथम चलत बिल की मद संख्याः 1 द्वारा वर्णित कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क पिक व जम्पर वर्क प्रत्येक 50 प्रतिशत से सम्बन्धित किए गए कार्य की कुल मात्रा 1969.46 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 29 पृष्ठ–21 पर ₹50/– प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्याः 29 पृष्ठ–20 व 21 पर की गई थी। किए गए कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अनुसार कटिंग इन अर्थ वर्क से सम्बन्धित कार्य 50 प्रतिशत पिक वर्क व 50 प्रतिशत जम्पर वर्क से सम्बन्धित किया गया था जबकि भुगतान करते समय अनुबन्ध में कटिंग इन अर्थ वर्क पिक व जम्पर वर्क (30 : 70) की दर ₹50/– प्रति घन मी0 से किया गया था। उपरोक्त किए गए कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क पिक व जम्पर वर्क (50 : 50) का भुगतान प्रतिस्थापित मद के रूप में अनुबन्ध में समान कार्य मद की दर के प्रीमियम के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाना था।

क्र0 सं0	मद	राशि
1.	किए गए कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क पिक + जम्पर वर्क (50 : 50) की मानक दर अनुसूची 1999 के अनुसार दर	₹61.50
2.	अनुबन्ध में समान कार्य या कटिंग इन अर्थ वर्क पिक + जम्पर वर्क (30 : 70) की मानक दर अनुसूची 1999 के अनुसार दर	₹69.70
3.	उपरोक्त अनुबन्ध मद की संविदाकार द्वारा दी गई दर	₹50 / –
	उपरोक्त किए गए कार्य कटिंग इन अर्थ वर्क पिक + जम्पर वर्क (50 : 50) की दर का निर्धारण	50/69.70 x 61.50 =44.36 प्रति घन मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 1969.46 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹5.64 (₹50–₹44.36) प्रतिघन मी0 की दर से ₹11,108 / –(1969.46 घन मी0 x ₹5–64) का अधिक भुगतान किया गया था।

पैरा 8.2 मापन पुस्तिका संख्याः 29 पृष्ठ–22 पर की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों के अनुसार प्रथम चलित बिल में कार्य स्थल पर 36.13 घन मी0 वोलडर / स्टोन प्राप्त हुए थे जिनकी वसूली संविदाकार से एच0पी0एम0आर0 1999 की दर ₹170 / – प्रति घन मी0 से की गई थी। जबकि इस कार्य में उपयोग बोलडर की वसूली एच0पी0एस0आर0 1999 की दर + उपरोक्त कार्य की ओवरऑल प्रतिशतता से की जानी थी। जिसके अनुसार वसूली दर ₹284.60 प्रति घन मी0 (₹170 + 67.41 प्रतिशत (कार्य की ओवरऑल प्रतिशतता))

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार से वोलडर स्टोन की मात्रा 36.13 घन मी0 की वसूली ₹114.60 (₹284.60–₹170 / –)प्रति घन मी0 की दर से राशि ₹4,140 / – के लिए कम की गई।

पैरा 8.3 कार्य के तीसरे व अन्तिम बिल में अनुबन्ध में वर्णित निम्न मदों की कार्य मात्रा से अधिक कार्य निष्पादन होने पर संविदाकार को अतिरिक्त कार्य के लिए निम्न प्रकार से भुगतान किया गयाः–

क्र0 सं0	मद सं0	मापन पुस्तिका / पृष्ठ	मद का विवरण	अनुबन्धित कार्य मात्रा	वास्तविक कार्य मात्रा	अधिक कार्य मात्रा	दर	राशि
1)	(1)	31 / 42	कटिंग इन अर्थ वर्क (50:50) पिक व जम्पर वर्क	1608.75 घन मी0	2022.97 घन मी0	414.22 घन मी0	69.70 +67.41 प्रतिशत	48,331.00
2)	(8)	31 / 43	प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	110.46 वर्ग मी0	156.18 वर्ग मी0	45.72 वर्ग मी0	63.60 +67.41 प्रतिशत	4,868.00
3)	(7)	31 / 43	सी सी 1:6:12 फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	30.74 घन मी0	56.137 घन मीं0	25.397 घन मी0	982.10 +67.41 प्रतिशत	41,753.00
4)	(9)	31 / 43	आर सी सी 1:2:4 फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	36.62 घन मी0	70.32 घन मी0	33.70 घन मी0	1740.20 +67.41 प्रतिशत	98,168.00
								₹1,93,120.00

अतिरिक्त निष्पादित कार्य मात्रा की दर का निर्धारण मानक दर अनुसूची 1999 की दर + कार्य की ओवर ऑल प्रतिशतता / प्रीमियम के आधार पर किया गया था। अनुबन्ध की क्लॉज 12 ''Any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as the part of the work and shall be carried out by the contractor on the same condition in all respect on which he agree to do the main work and at the same rate as specified in the tender'' के अनुसार अतिरिक्त किए गए कार्य के लिए संविदाकार को अतिरिक्त दरों पर भुगतान नहीं किया जाना था। संविदाकार को अनुबन्ध मदों में कार्य की मात्रा में बढौतरी होने पर अतिरिक्त की गई कार्य मात्रा के लिए भी अनुबन्धित दरों से ही निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना था :–

क्र0 सं0	मद सं0	मद का विवरण	अतिरिक्त किए गए कार्य की मात्रा	अनुबन्ध के अनुसार दर	राशि
1)	(1)	कटिंग इन अर्थ वर्क पिक + जम्पर वर्क (50:50)	414.22 घन मी0	44.36 (प्रति स्थापित मद)	18,375.00

2)	(8)	प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	45.72 वर्ग मी0	175	8,001.00
3)	(7)	सी सी 1:6:12 फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	25.327 घन मी0	1350	34,286.00
4)	(9)	आर सी सी 1:2:4 फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग	33.70 घन मी0	2500	84,250.00
					₹1,44,912.00

अतः संविदाकार को ₹48,208/– (₹1,93,120–₹1,44,912) का अधिक भुगतान किया गया था।

पैरा 8.4 कार्य के तीसरे व अन्तिम बिल के दौरान संविदाकार द्वारा निष्पादित अतिरिक्त मदों की कार्य मात्रा के लिए निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था :–

क्र0 सं0	**अतिरिक्त मद सं0**	**मापन पुस्तिका /पृष्ठ**	**कार्य का विवरण**	**कार्य मात्रा**	**दर**	**राशि**
1)	2	31/42	कटिंग इन अर्थ वर्क चिजलिंग इन हार्ड रौक (विद बलास्टिंग वर्क)	318 घन मी0	245.50 + 67.41 प्रतिशत	1,30,695
2)	3	31/42	एक्सकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रैचिज चिजलिंग इन साफट रॉक (विद बलास्टिंग वर्क)	186.09 घन मी0	259.90 + 67.41 प्रतिशत	80,967
3)	4	31/42	रीमूवल ऑफ सलिप	420.75 घन मी0	38.90 + 67.41 प्रतिशत	27,400
					कुल राशि	**₹2,39,062**

अतिरिक्त मदों के अन्तर्गत किए गए कार्य की दरों का निर्धारण समान कार्य मद के प्रीमियम के आधार पर निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था :–

क्र0 सं0	अनुबन्ध में समान कार्य मद	एच.पी.एस. आर. 1999 के अनुसार दर	कार्य मात्रा	अनुमानित राशि	संविदाकार दर (₹)	राशि
1)	कटिंग इन अर्थ वर्क	69.70	1608.75 घन मी0	1,12,130.00	50	80,438
2)	एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेचिंज इत्यादि	92.85	97.44	9,047.00	12	11,69,300
			जोड	₹1,21,177		₹92,131

कार्य की प्रतिशतता $\frac{92131-121177}{92131} \times 100 = (-)\ 31.52\%$

क्र0 सं0	मद सं0	मद का विवरण	एच0पी0 एस0आर0 1999 की दर (₹)	+ समान कार्य मद की प्रतिशतता ((–) 31.52 प्रतिशत)	निर्धारित दर (₹)
(1)	2	कटिंग इन अर्थ वर्क चिजलिंग इन हार्ड रौक (बलास्टिंग वर्क सहित)	158.30	(–) 49.90	108.40
(2)	3	एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेंचिंग चिजलिंग/वैडगरिग इन साफट रौक इत्यादि (विद बलास्टिंग वर्क)	125.30	(–) 39.50	85.80
(3)	4	रिमूवल ऑफ स्टीप	38.90	(–) 12.26	26.64

उपरोक्त दरों के अनुसार संविदाकार को निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना था

क्र0 सं0	मद सं0	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	दर प्रति घन मी0	राशि (₹)
(1)	2	कटिंग इन अर्थ वर्क चिजलिंग इन हार्ड रौक (बलास्टिंग वर्क के साथ)	318	108.40	34,471/–

			घन मी0		
(2)	3	एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेंचिंग चिजलिंग/वैडगरिग इन साफट रौक इत्यादि (विद बलास्टिंग वर्क)	186.09 घन मी0	85.80	15,967/–
(3)	4	रिमूवल ऑफ स्वीप	420.75 घन मी0	26.64	11,209/–
				कुल राशि	**₹61,647/–**

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को उपरोक्त अतिरिक्त मदों के अन्तर्गत किए गए कार्य के लिए ₹61,647/– के स्थान पर ₹2,39,062/– का भुगतान किए जाने के कारण ₹1,77,415/– (₹2,39,062–₹61,647) का अधिक भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 8.5 बलास्टिंग सामग्री राशि ₹5,825/– की वसूली न करना :–

उपरोक्त निर्माण कार्य के दौरान बलास्टिंग वर्क हेतु संविदाकार को निम्न बलास्टिंग सामग्री जारी की गई थी जिसका विवरण स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 29 पर दिया गया था स्टॉक रजिस्टर के अनुसार यह सामग्री बिल संख्याः 303, दिनांक 18.04.2011 द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त की गई थी। सामग्री के मुल्य का भुगतान रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 27.07.2011 को ₹5,825/– हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल घुमारवीं को किया गया था। यह सामग्री मापन पुस्तिका संख्याः 31 पृष्ठ–23 पर की गई प्रविष्टियों के अनुसार इन्डैन्ट नं0 929, दिनांक 18.04.2011 द्वारा संविदाकार को जारी की गई थी सामग्री के मुल्य ₹5,825/– की संविदाकार से वसूली नहीं की गई थी। वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए ₹5,825/– की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	समग्री का विवरण	मात्रा
(1)	जलाटीन	50 कि0 ग्रा0
(2)	डैटोनेटर	200 नं0
(3)	फयूज क्वायल	15 क्वाईल

पैरा 8.6 कार्य के दूसरे चलत बिल की मद संख्याः 3/4 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग फौर्म वर्क फाऊंडेशन फुटिंग इत्यादि से किए गए कार्य की कुल मात्रा 156.18 घन मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः 31, पृष्ठ–26 व 30 पर निम्न प्रकार से किया गया था:–

मापन पुस्तिका संख्या	**पृष्ठ**	**कार्य मात्रा**	**दर प्रति वर्ग मीटर**	**राशि**
31	26	110.46 वर्ग मी0	175	19,330/–
31	30	45.72 वर्ग मी0	63.60	4,868/–
			+ 67.41%	
				₹24,198/–

उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकॉर्ड प्रविष्टियां मापन पुस्तिका संख्याः 31, पृष्ठ–2 से 5 पर की गई थी का अवलोकन करने पर पाया गया कि जितनी लम्बाई व चौडाई में कॉलम की फाऊंडेशन व फुटिंग में एकसकावेशन से सम्बन्धित कार्य किया गया था उतनी ही लम्बाई व चौडाई में सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित कार्य किया गया थां कॉलम की एकसकावेशन से सम्बन्धित कार्य दिनांक 03.10.11 को व कॉलम में सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित कार्य दिनांक 04.10.2011 को किया गया था। इसके पश्चात् दिनांक 05.10.2011 को कॉलम के फाऊंडेशन फुटिंग में फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया गया दर्शाया गया था। कॉलम की फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग में जितनी लम्बाई व चौडाई में एकसकावेशन से सम्बन्धित कार्य किया गया था उतनी ही लम्बाई व चौडाई में सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित कार्य किया गया था इसलिए फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग में फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य नहीं किया जा सकता था न ही कॉलम के फाऊंडेशन फुटिंग में सी0सी0 1:6:12 के कार्य के लिए फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 04.10.2011 को कॉलम के फाऊंडेशन फुटिंग में सी0सी0 1:6:12 से सम्बन्धित कार्य दर्शाना व दिनांक 05.10.2011 के सी0सी0 1:6:12 के कार्य के लिए फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया दर्शाया जाना भी आपतिजनक है।

इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका 31, पृष्ठ–2 से 5 पर कॉलम में फाऊंडेशन फुटिंग में कॉलम के ट्रेर्पोजर्ड पोरशन में फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया दर्शाया गया था। कॉलम के ट्रेर्पोजर्ड पोरशन में न तो आर0सी0सी0 1:2:4 के कार्य के लिए फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया जाता है और न ही फोम वर्क से सम्बन्धित कार्य किया जाना सम्भव होता है।

अतः कॉलम के फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग में सी0सी0 1:6:12 के कार्य के लिए व ट्रेर्पोजर्ड पोरशन में आर0सी0सी0 1:2:4 के कार्य के लिए फॉर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य किया दर्शाया जाने के कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को फॉर्म वर्क फाऊंडेशन एण्ड फुटिंग के कार्य में 98.69 वर्ग मी0 कार्य मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था।

कॉलम

बी–1	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.40+3.60)0.20$	=2.80 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.40+0.90}{2}+\frac{3.20+0.80}{2}\right)0.25$	=2.08 वर्ग मी0
बी–6	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.40+3.60)0.20$	=2.80 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.40+0.80}{2}+\frac{3.20+0.80}{2}\right)0.80$	=6.56 वर्ग मी0
बी–2	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.80+4.00)0.20$	=3.12 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.90+0.95}{2}+\frac{3.70+0.80}{2}\right)0.25$	=2.34 वर्ग मी0
बी–3	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.80+4.00)0.20$	=3.12 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.90+1.15}{2}+\frac{3.70+0.95}{2}\right)0.55$	=5.33 वर्ग मी0
बी–4	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.80+4.00)0.20$	=3.12 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.90+0.95}{2}+\frac{3.70+0.80}{2}\right)0.55$	=5.14 वर्ग मी0
बी–5	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.80+4.00)0.20$	=3.12 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.90+0.80}{2}+\frac{3.70+0.75}{2}\right)0.55$	=5.02 वर्ग मी0
ए–1	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(2.60+2.80)0.20$	=2.16 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{2.70+0.70}{2}+\frac{2.50+0.55}{2}\right)0.75$	=4.84 वर्ग मी0
ए–6	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.80+4.00)0.20$	=3.12 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{2.70+0.70}{2}+\frac{2.50+0.55}{2}\right)0.55$	=3.55 वर्ग मी0
ए–2	फाऊंडेशन फुटिंग	$2(3.00+3.20)0.20$	=2.48 वर्ग मी0

	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.10+2.40}{2}\right)+\left(\frac{2.90+2.25}{2}\right)0.70$	=7.99 वर्ग मी0
ए–3	फाऊंडेशन फुटिंग	2(3.00+3.20)0.20	=2.48 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.10+2.40}{2}\right)+\left(\frac{2.25+2.90}{2}\right)0.75$	=7.99 वर्ग मी0
ए–4	फाऊंडेशन फुटिंग	2(3.00+3.20)0.20	=2.48 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.10+2.40}{2}\right)+\left(\frac{2.25+2.90}{2}\right)0.70$	=7.46 वर्ग मी0
ए–5	फाऊंडेशन फुटिंग	2(3.00+3.20)0.20	=2.48 वर्ग मी0
	ट्रेर्पोजर्ड पोरशन	$2\left(\frac{3.10+2.20}{2}\right)+\left(\frac{2.90+2.00}{2}\right)0.75$	=7.65 वर्ग मी0
			98.69 वर्ग मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 98.60 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹11,009/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	**कार्य मात्रा**	**दर**	**राशि**
(1)	35.09 वर्ग मी0	₹175	6,141/–
(2)	63.60 वर्ग मी0	₹63.60 + 67.41%	4,868/–
		कुल राशि	**₹11,009/–**

पैरा 8.7 आयकर की राशि ₹15,908/– की कम वसूली :–

कार्य के तीसरे व अन्तिम बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए संविदाकार से ₹28,144/– की आयकर की वसूली की जानी थी जबकि राशि ₹12,236/– की ही वसूली की गई थी। जिसके फलस्वरूप ₹15,908/– (₹28,144 – ₹12,236) की कम वसूली की गई थीं जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

पैरा 8.8 कटिंग/एकसकावेशन के कार्य से बोल्डर स्टोन की उचित प्राप्ति न दर्शाया जाना :–

संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्न विवरणानुसार कटिंग/एकसकावेशन इत्यादि से सम्बन्धित कार्य किया गया था :–

मद सं0	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा
1	कटिंग इन अर्थ वर्क पिक/जम्पर वर्क इत्यादि 50:50	1969.46 घन मी0
2(अतिरिक्त मद)	कटिंग इन अर्थ वर्क चिजलिंग हार्ड रौक इत्यादि	318 घन मी0
3 (ई0ओ0)	एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेचिज इन साफट रौक इत्यादि	420.75 घन मी0
	कुल मात्रा	**2708.21 घन मी0**

उपरोक्त कार्य मात्रा के विरूद्ध यदि 20 प्रतिशत भी वोल्डर स्टोन प्राप्त दर्शाये गए होते तो लगभग 542 घन मी0 स्टॉन प्राप्त होने थे जबकि उपरोक्त कार्य के दौरान मात्र 36.13 घन मी0 भी वोल्डर/स्टॉन प्राप्त किए दर्शाये गए थे संविदाकार को उपरोक्त मदों के अन्तर्गत जम्पर वर्क, चिजलिंग वर्क इत्यादि की ऊंची दरों से भुगतान किया गया था जिसके अनुसार कार्य स्थल पर वोल्डर/स्टोन की मात्रा प्राप्त की जानी वांछित थी। नियमानुसार उपरोक्त कार्य में वोल्डर/स्टोन की प्राप्ति न दर्शाये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

पैरा 8.9 <u>अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों की दरों को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित न करना</u> :–

कार्य के तीसरे व अन्तिम बिल के दौरान निम्न विवरणानुसार ₹7,07,052/– का भुगतान अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के रूप में किया गया था। इन अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों की दरों को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

क्र0 सं0	मद सं0	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	एच0पी0एल0आर0 1999 की दर + कार्य का ओवर ऑल प्रीमियम 67. 41 प्रतिशत	राशि (₹)
1)	2	कटिंग इन अर्थ वर्क चिजलिंग इन हार्ड रौक	318 घन मी0	411.00	1,30,698.00
2)	3	एकसकावेशन इन फाऊंडेशन ट्रेचिंज चिजलिंग इन साफट रॉक इत्यादि	186.09 घन मी0	435.10	80,967.00
3)	4	रीमूवल ऑफ सविप	420.75 घन मी0	6513	27,400.00

4)	6	डिस्पोजल ऑफ सरपलस अर्थ वर्क मैकेनिकल मीन्ज एक किलो मीटर तक	2287.46 घन मी0	107.88	2,46,771.00
5)	5	डिसपोजल ऑफ मैटीरियल वाई मेनुअल मीन्च	420.75 घन मी0	37.61	15,824.00
6)	10	सी0सी 1:5:10 विद 15 प्रतिशत पलम	108.32 घन मी0	1693.00	1,83,385.00
7)	11	6 एम0एम सीमेन्ट प्लास्टर	296 वर्ग मी0	41.85	12,388.00
8)	12	15 एम0एम सीमेन्ट प्लास्टर	149.64 वर्ग मी0	64.28	9,619.00
				कुल योग	**₹7,07,052**

उपरोक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति टैण्डर अपरूवल, टैण्डरों की तुलनात्मक विवरणी, दरों की जसटीफिकेशन इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पैरे में दर्शाई गई अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक भुगतान/अनियमित भुगतान व कम वसूलियों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करते हुए अधिक भुगतान राशियों की उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं के ध्यान में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या5 156, दिनांक 10.03.2015 द्वारा लाया गया था लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा होने तक उपरोक्त अनियमितताओं बारे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

पैरा 9 दिनांक 31.03.2014 तक गृहकर व दुकानों के किराये की राशि ₹62.12 लाख की वसूली शेष :–

गृहकर व दुकानों के किराये की दिनांक 31.03.2014 को ₹62,12,026 की राशि वसूली योग्य शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–''घ'' पर दिया गया है तथा मदवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	विवरण	2011–12	2012–13
(1)	दुकानों का किराया	2,64,204.00	3,25,372.00
(2)	गृहकर	62,10,562.00	58,86,654.00
		64,74,766.00	**62,12,026.00**

गृहकर व किराये की वसूली योग्य राशियों में प्रतिवर्ष वृद्धि ही रही है तथा अत्याधिक राशियां वसूली योग्य शेष हैं। इनकी वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः इन राशियों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 9.1 गृहकर की वार्षिक मांग वर्ष 2011–12 से ₹15,47,950.00 दर्शाई गई थी जबकि प्रतिवर्ष नये भवन बन रहे हैं जिन के गृहकर की गणना नगर परिषद द्वारा की जाती है लेकिन इस गणना को गृहकर की वार्षिक मांग में नहीं दर्शाया गया है। अतः वर्ष 2011–12, 2012–13, व वर्ष 2013–14 के दौरान तैयार नये भवनों की गृहकर की गणना वार्षिक मांग में शामिल करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 9.2 नगर परिषद की दुकानों के किराये की 31.03.2014 को ₹3,25,372 की राशि वसूली योग्य शेष थी किराये पर दी गई दुकानों के अधिकतर अनुबन्ध/इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था जिनका विवरण परिशिष्ट–''ड़'' पर दिया गया है। दुकानों के इकरारनामें/अनुबन्ध का नवीनीकरण न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नवीनीकरण हेतु देय दुकानों के अनुबन्ध/इकरारनामों का शीघ्र नवीनीकरण करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

पैरा 10 संविदाकारों को परिषद द्वारा सीमेन्ट न जारी करने पर राशि ₹4.37 लाख की हानि :–

नगर परिषद घुमारवीं के सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के अनुसार माह 04/2013 के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से सीमेन्ट क्रय नहीं किया गया था तथा माह 08/2013 के पश्चात् संविदाकारों को नगर परिषद के निर्माण कार्यों के लिए स्टोर से सीमेन्ट जारी नहीं किया गया था संविदाकारों द्वारा माह 08/2013 के पश्चात् खुले बाजार से अपने स्तर पर सीमेन्ट क्रय करके निर्माण कार्यों में उपयोग किया गया था। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से सीमेन्ट क्रय करके संविदाकारों को लगभग ₹220 प्रति बैग की दर से सीमेन्ट जारी किया जा रहा था जबकि खुले बाजार मं सीमेन्ट की दर लगभग ₹350 प्रति

सीमेन्ट बैग थी। अतः संविदाकारों द्वारा लगभग ₹130 प्रति सीमेन्ट बैग अधिक भुगतान करके नगर परिषद के निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप एक तरफ नगर परिषद के निर्माण कार्यों की लागत बढ रही है दूसरी तरफ निर्माण कार्यों की गुणवता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यू0डी0एच0(एफ0)(10)2 / 2005–9750–9808, दिनांक 06.09.2005 द्वारा भी परामर्श दिया गया था कि सीमेन्ट आदि की आपूर्ति संविदाकारों को सम्बन्धित पालिका द्वारा अपने स्तर पर की जाए ताकि कार्य की गुणवता प्रभावित न हो। उपरोक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। माह 08/2013 से 03/2014 के दौरान नगर परिषद के निर्माण कार्यों में निम्न विवरणानुसार 3365 सीमेन्ट बैग उपयोग किए गए थे जिन्हें खुले बाजार से संविदाकारों द्वारा अपने स्तर पर क्रय करने के कारण नगर परिषद को लगभग ₹4,37,450/– (3365 बैग x ₹130) की हानि हुई यदि नगर परिषद अपने स्तर पर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से सीमेन्ट क्रय करके संविदाकारों को जारी करती तो उपरोक्त राशि की बचत की जा सकती थी। अतः भविष्य में नगर परिषद के निर्माण कार्यों में अपने स्तर पर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से सीमेन्ट क्रय करके संविदाकारों को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0	माह	कार्य का विवरण	संविदाकार का नाम	सीमेन्ट उपयोग की मात्रा
(1)	159/1	09/13	नगर परिषद की सम्पति का विभिन्न स्थलों पर रिपेयर / मैन्टेनेंस का निर्माण कार्य (फेस–1)	श्री सतीश कुमार	113 बैग
(2)	159/2	09/13	–यथोपरि–फेस–II	श्री सतीश कुमार	77 बैग
(3)	162	09/13	बचत भवन घुमारवीं में सीमेन्ट कंक्रीट फ्लोरिंग	श्री ए0एल0 कासिब	154 बैग
(4)	164/1	09/13	अम्बेदकर भवन के नजदीक टवायलेट का निर्माण कार्य	श्री ए0एल0 कासिब	314 बैग
(5)	164/2	09/13	सिविल अस्पताल घुमारवीं के नजदीक टवायलट बलॉक का निर्माण कार्य	श्री ए0एल0 कासिब	293 बैग
(6)	203	10/13	श्री प्रकाश चन्द के घर से	श्री राकेश कुमार	374 बैग

			श्री धर्मपाल के घर तक निर्माण कार्य		
(7)	246	12/13	वार्ड नं0–1 बड़ू में पार्क का निर्माण कार्य	श्री राकेश कुमार	388 बैग
(8)	247/1	12/13	विभिन्न स्थलों पर मयूनिसिपल प्रॉपर्टी की मुरम्मत का कार्य फेस–iv	श्री सतीश कुमार	166 बेग
(9)	247/2	12/13	–यथोपरि– फेस–v	श्री सीस कुमार	117 बैग
(10)	248	12/13	कुम्हार मोहल्ला वड़ू में पीवमैन्ट ऑफ पाथ का निर्माण कार्य	श्री धीरज कुमार	164 बैग
(11)	256	12/13	फ्रीडम फाईटर मैमोरियल एस0डी0एम0 ऑफिस के नजदीक पार्क का निर्माण कार्य	श्री संजीव कुमार	237 बैग
(12)	329	03/14	राज्य सहकारी बैंक के दूसरी तरफ रिटेनिंग वॉल की मुरम्मत का कार्य	श्री राकेश कुमार	158 बैग
(13)	330	03/14	अवदानीघाट में रास्ते की चौडाई एवं मुरम्मत का कार्य	श्री राकेश कुमार	197 बैग
(14)	331	03/14	आई0पी0एच0 कलौनी से अस्पताल की तरफ ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य	श्री राकेश कुमार	157 बैग
(15)	332	03/14	जीत राम कौण्डल के घर से हारककवार की तरफ स्ट्रीट/ड्रेनेज का निर्माण कार्य	श्री राकेश कुमार	130 बैग
(16)	333	03/14	वार्ड नं0 7 में मनोहर के घर से प्रकाश के घर की तरफ रास्ते का निर्माण कार्य	श्री ए0एल0 कासिब	326 बैग

कुल बैग	**3365**

पैरा 11 <u>दिनांक 31.03.2014 तक मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹47,500/– वसूली हेतु शेष</u> :–

मोबाईल टावर कम्पनियों से दिनांक 31.03.2014 तक नवीनीकरण शुल्क की राशि ₹47,500/– वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	कम्पनी का नाम	अवधि	दर प्रतिवर्ष	प्राप्ति योग्य राशि
(1)	भारतीय संचार निगम लि0	2011–12 से 2013–14	6250	18,750.00
(2)	रिलाईंस	2013–14	5000	5000.00
(3)	एयरटैल	2010–11,	5000	5000.00
		2011–12, 2013–14	6250	18750.00
			कुल योग	**₹47,500.00**

मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की समय पर वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वसूली योग्य राशि ₹47,500/– की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

पैरा 12 <u>विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नई सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (4–9–14) में वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड वेतन का अनियमित लाभ प्रदान करने बारे</u> :–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन विभाग के पत्र संख्याः फिन(पी0आर0)(बी)(7)–59/2010, दिनांक 09.08.2012 के पेरा 4(बी) व पैरा 4(आई) में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 4–9–14 का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात् नई सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर कर्मचारियों के पक्ष में अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे प्रदान की जानी अपेक्षित थी तथा उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए वही प्राधिकारी सक्षम है जो कर्मचारियों की प्रमोशन करने में सक्षम है।

नगर परिषद घुमारवीं के निम्न वर्णित कर्मचारियों को 4–9–14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात् नगर परिषद घुमारवीं द्वारा उपरोक्त पत्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे प्रदान की गई थी। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को अनियमित रूप से सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत 4–9–14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि एवं उच्च ग्रेड पे प्रदान करने बारे नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को 4–9–14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि व आगामी वेतनमान प्रदान करने बारे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से 4–9–14 सुनिश्चित प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत निर्धारित किए गए वेतन के फलस्वरूप अनियमित रूप से किए जा रहे भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पद	कार्यालय आदेश संख्या	दिनांक
1)	श्री खेम चन्द वर्मा, लिपिक	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1037	05.06.13
2)	श्री श्याम लाल, सेवादार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1057	05.06.13
3)	श्री हंस राज, सेवादार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1030	05.06.13
4)	श्री महेन्द्र सिंह, वर्क सुपरवाईज़र	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1043	05.06.13
5)	श्री रणजीत सिंह, मैशन	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1046	05.06.13
6)	श्री गोबरधन दास, बेलदार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1072	05.06.3
7)	श्री सुरजीत सिंह, बेलदार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1063	05.06.13
8)	श्री चेतराम, बेलदार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1066	05.06.13
9)	श्री बृज लाल, बेलदार	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1069	05.06.13
10)	श्री सतपाल, वर्क सुपरवाईज़र	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1040	05.06.13
11)	श्री श्रवण कुमार, ड्राईवर	एम.सी.जी./स्थापना/2009–1054	05.06.13

12)	श्री कृष्ण पाल	एम.सी.जी. / स्थापना / 2009–1060	05.06.13
13)	श्री मुकेश कुमार	एम.सी.जी. / स्थापना / 2009–1075	10.06.13

उपरोक्त मामला लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 148, दिनांक 25.02.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं के ध्यान में लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पैरा 13 दिनांक 01.10.2012 से प्रवर्ग / पदवार संशोधित वेतनमानों की सूची में प्रवर्ग / पद न होने पर अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना वेतन निर्धारित करना :–

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त (वेतन परिशोधन) विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन(पी0आर0)वी(7)–64 / 2010, दिनांक 27, सितम्बर 2012 द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाओं के प्रवर्ग / पदवार वेतनमान दिनांक 01.10.2012 से संशोधित किए गए थे। उपरोक्त अधिसूचना में प्रवर्ग / पदवार सूची में जो पद नहीं थे नगर परिषद घुमारवीं द्वारा उन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान व ग्रेड पे भी उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना दिनांक 01.10.2012 से संशोधित किए गए हैं सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्रवर्ग / पदनाम न होने पर भी किसी पद का वेतन अन्य पद के आधार पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संशोधित वेतनमान मे निर्धारित किया जाना अनियमित ही नहीं आपत्तिजनक भी है। दिनांक 01.10.2012 से प्रवर्ग / पदवार संशोधित वेतनमान की सूची में पद / प्रवर्ग न होने पर भी निम्न वर्णित कर्मचारियों के 01.10.2012 से वेतनमान व ग्रेड पे संशोधित करने बारे औचित्त्य स्पष्ट किया जाए तथा इन मामलों में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इन मामलों का नियमितिकरण करवाया जाए। अन्यथा अनियमित रूप से किए गए वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किए जा रहे अनुचित भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम / पद	30.09.2012 को वेतनमान व ग्रेड पे	01.10.2012 से संशोधित वेतनमान + ग्रेड पे
1)	श्री जयपाल, सामुदायिक प्रबन्धक	5910–20200+1900 ग्रेड पे	10300–34800+3200 ग्रेड पे
2)	श्री रणजीत सिंह, मैशन	5910–20200+1900 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे

3)	श्री कुलदीप चन्द, वर्क सुपरवाईज़र	5910–20200+1900 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे
4)	श्री सतपाल, वर्क सुपरवाईज़र	5910–20200+1900 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे
5)	श्री महेन्द्र कुमार, वर्क सुपरवाईज़र	5910–20200+1900 ग्रेड पे	5910–20200+2400 ग्रेड पे

उपरोक्त मामला कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं के ध्यान मे लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 148, दिनांक 25.02.2015 द्वारा लाया गया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः एम0सी0जी0/ऑडिट/2011– 716, दिनांक 11.03.2015 द्वारा सूचित किया कि मामला आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग को भेजा जायेगा।

पैरा 14 गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों की राशि ₹21,676/– का अधिक भुगतान :–

सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना के अन्तर्गत श्री सतपाल, वर्क सुपरवाईज़र का वेतन निर्धारित करते समय दिनांक 27.08.2009 को बैंड़ पे + ग्रेड पे ₹10,760 (बैंड पे ₹8810 + ग्रेड पे ₹1950) दर्शाया गया था जबकि सेवा पुस्तिका के अनुसार दिनांक 27.08.2009 को श्री सतपाल का वेतन ₹10440 (₹8490 बैंड पे + ₹1950 ग्रेड पे) था। गलत वेतन दर्शाये जाने के फलस्वरूप श्री सतपाल के वेतन निर्धारण में निम्न विवरणानुसार अनियमितता पाई गईः–

विवरण	निर्धारित वेतन	वेतन जो निर्धारित किया जाना था
वर्तमान पद पर कार्य करने की तिथि 01.04.1999		
वर्तमान पद पर दिनांक 27.08.2009 को वेतन	10760(8810+1950)	10440(8490+1950)
9 वर्ष के सेवाकाल पर वेतन वृद्धि 27.08.2009	11140(9140+2000)	10810(8810+2000)
वार्षिक वेतन वृद्धि 01.04.10	11480(9480+2000)	11140(9140+2000)
वार्षिक वेतन वृद्धि 01.04.11	11830(9830+2000)	11480(9480+2000)

वार्षिक वेतन वृद्धि 01.04.12	12190(10190+2000)	11830(9830+2000)
संशोधित ग्रेड पे दिनांक 01.10.12 से	12590(10190+2400)	12230(9830+2400)
वार्षिक वेतन वृद्धि 01.04.2013	12970(10570+2400)	12600(10200+2400)

4 वर्ष के सेवाकाल पर देय वेतन वृद्धि व उच्च वेतनमान को पूर्व में 8 वर्ष के सेवाकाल पर प्रदान उच्च वेतनमान व वेतन वृद्धि के विरूद्ध समायोजित किया गया है। उपरोक्त विवरणानुसार गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार श्री सतपाल को ₹21,676/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

अवधि		देय राशि							
		मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल राशि	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल राशि	अन्तर x माह	अधिक भुगतान
09.08.12 31.08.12 दिन @)	से (23	8777	6319	15096	9044	6512	1556	460x1	460
01.09.12 30.09.12	से	11830	8518	20348	12190	8777	20967	619x1	619
01.10.12 31.12.12	से	12230	8806	21036	12590	9065	21655	619x3	1857
01.01.13 31.03.13	से	12230	9784	22014	12590	10072	22662	648x3	1944
01.04.13 30.06.13	से	12600	10080	22680	12970	10376	23346	666x3	1998
01.07.13 31.12.13	से	12600	11340	23940	12970	11673	24643	703x6	4218
01.01.14 31.03.14	से	12600	12600	25200	12970	12970	25940	740x3	2220
01.04.14 28.02.15	से	12980	12980	25960	13360	13360	26720	760x11	8360
								कुल राशि	₹21,676

पैरा 15 डा0 भीमराव अम्बेदकर भवन के निर्माण कार्य पर ₹15,91,752.00 का निष्क्रय व्ययः–

अम्बेदकर भवन के निर्माण पर ₹15,91,752/– का व्यय किया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्याः एस0जे0वी–सी(10)–9/2008, दिनांक 21.10.2010 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निर्माण किए जा रहे अम्बेदकर भवनों का उपयोग समाजिक कार्यक्रमों/सरकारी बैठकों अथवा विवाह शादियों के कार्यक्रमों के लिए किया जाना था। इस भवन के निर्माण कार्य को 12.04.2012 को पूर्ण किया गया था लेकिन आज दिन तक इसका कोई उपयोग नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि जिस उद्देश्य हेतु अम्बेदकर भवन का निर्माण किया गया था व पूरा नहीं हो सका। अम्बेदकर भवन के निर्माण पर किया गया ₹15,91,752/– का व्यय निष्क्रय निवेश किया गया है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि अम्बेदकर भवन का उपयोग कार्यालय बैठकों, सामाजिक बैठकों, विवाह शादियों के कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाए ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध की गई राशि का उचित उपयोग हो सके। उपरोक्त मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

पैरा 16 टिप्पर को अनुपयोगी घोषित करके नीलामी न करना :–

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1998 में नगर परिषद घुमारवीं को कूड़े की ढुलाई के लिए टिप्पर क्रय करने हेतु ₹5,91,968/– स्वीकृत किए गए थे। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि टिप्पर संख्याः एच0पी0–23–4056 का दिनांक 01.12.2011 से उपयोग नहीं किया गया है। टिप्पर को रैहन बसेरा भवन के नजदीक पार्क किया गया है लगभग तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इस वाहन को अनुपयोगी घोषित करके इसकी नीलामी नहीं की गई है। वाहन को अनुपयोगी घोषित करके इसकी नीलामी न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा औपचारिक्ताएं पूर्ण करके वाहन को नीलाम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा 17 रैहन बसेरा के नजदीक पार्किंग के निर्माण कार्य पर ₹25 लाख का अपव्यय :–

सचिव, नगर परिषद घुमारवीं द्वारा वर्ष 2009–10 में नगर परिषद घुमारवीं में पार्किंग के निम्रण कार्य के लिए जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से निदेशक, पर्यटन शिमला को प्रस्ताव भेजा था। जिसे पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत करते हुए आयुक्त पर्यटन एवं नागरिक विमानन, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः 04–15/2008–टी0एस0एम0–527, दिनांक

01.05.2009 द्वारा घुमारवीं में पार्किंग के निर्माण हेतु ₹25 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें से ₹20 लाख की राशि निम्न विवरणानुसार नगर परिषद में प्राप्त हुई थी :–

क्र0 सं0	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**राशि**
1)	17 / 24	26.09.2009	12,50,000 / –
2)	83 / 43	29.11.2009	7,50,000 / –
		कुल योग	**₹20,00,000 / –**

अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि मार्च, 2010 मे कार पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा माह 10 / 2012 में निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। निर्माण कार्य पर ₹25 / –लाख व्यय किया गयां पत्र संख्याः एम0सी0जी0 / पर्यटन / 2010–2082, दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा गया।

यह पार्किंग अक्तूबर, 2012 से आज दिन तक खाली हैं पार्किंग न तो ठेके पर दी गई न ही नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर कोई कार्य किया गया। पार्किंग ऐसे स्थान पर बनाई गई है जहां पर वाहनों का आना जाना आम नहीं है न ही ऐसी उम्मीद है कि पार्किंग का उपयोग वाहनों को खडा करने के लिए हो सके। पार्किंग निर्माण की स्वीकृति इस आशय के साथ दी गई थी कि पार्किंग निर्माण से पर्यटन को लाभ हो सके। लेकिन पार्किंग के निर्माण का न तो पर्यटन को कोई लाभ हुआ न ही स्थानीय जनता को कोई लाभ हुआ। अतः पार्किंग के निर्माण पर ₹25 / – लाख का अपव्यय किया गया है। मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

पैरा 18 ₹1,24,209 / – गृह कर की कम वसूली :–

गृह कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि गृह कर की राशि ₹1,24,209 / – की कम वसूली निम्न विवरणानुसार की गई थी। अतः कम वसूली की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 18.1 श्री कृष्ण चन्द, सपुत्र श्री शेर सिंह, वार्ड नं0 5, नजदीक आई0पी0एच कलौनी घुमारवीं के भवन की प्रथम मंजिल का निर्माण कार्य माह जनवरी, 2012 में पूर्ण किया गया था प्रथम मंजिल का एरिया 104.63 वर्ग मी था जिस पर ₹56 / – प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹5,859 / – प्रति वर्ष गृह कर की वसूली की जानी थी। गृह कर रजिस्टर के पृष्ठ–245 पर उपरोक्त मामले में माह जनवरी, 2013 से गृह कर की वसूली हेतु गणना की गई थी जबकि माह

जनवरी, 2012 से गृह कर वसूली हेतु गणना की जानी थी। गृह कर वसूली हेतु एक वर्ष की राशि ₹5,859/– की गणना कम की गई थी। अतः ₹5,859/– की राशि गृह कर गणना में शामिल करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 18.2 गृह कर गणना रजिस्टर के पृष्ठ–228 पर श्रीमती सुदेश, पत्नी श्री महेन्द्र सिंह, वार्ड नं0 5 (बजौवा) के गृह कर की गणना निम्न प्रकार से की गई थी :–

वर्ष	**गृह कर**
2009–10	16,120.00
2010–11	16,120.00
2011–12	16,120.00
कुल योग	**₹48,360.00**

गृह कर प्राप्ति रजिस्टर में उपरोक्त मामले में मांग उठाते समय निम्न प्रकार से मांग दर्शाई गई थी :–

पिछला बकाया	**4,000.00**
2011–12	16,120.00
2012–13	16,120.00
2013–14	16,120.00
कुल प्राप्ति योग्य राशि	**₹52,360.00**
जमा राशि जी–8 12/20, दिनांक 11.06.12	**₹20,120.00**
शेष राशि	**₹32,240.00**

उपरोक्त मामले में वर्ष 2009–10 व 2010–11 के लिए गृह कर प्राप्ति ₹16,120/– प्रति वर्ष की दर से दो वर्ष के लिए ₹32,240/– मांग व प्राप्ति रजिस्टर में कम दर्ज किया गया था। अतः ₹32,240/– की गृह कर प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि करके वसूली सुनिश्चित की जाये।

पैरा 18.3 गृह कर गणना रजिस्टर के पृष्ठ—72—73 पर शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की गृह कर की गणना की गई थी जिसके अनुसार वर्ष 2011—12 तक कुल गृह कर ₹3,19,687/— प्राप्त किया जाना था तथा वर्ष 2012—13 की मांग ₹85,250/— शामिल करके कुल राशि ₹4,04,937/— प्राप्त की जानी थी गृह कर प्राप्ति रजिस्टर वार्ड नं0 6 पृष्ठ—75 पर वर्ष 2012—13 तक कुल प्राप्ति योग्य राशि ₹3,74,937/— दर्शाई गई थी। जिसके अनुसार ₹30,000/— (₹4,04,937 —₹3,74,937) की मांग कम दर्शाई गई थी। अतः ₹30,000/— की गृह कर राशि की मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

पैरा 18.4 ₹56,110/— की वसूली न करना :—

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में गृह कर गणना रजिस्टर में गृह कर की गणना की गई थी लेकिन गृह कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में मांग दर्ज नहीं की गई थी। जिसके फलस्वरूप गृह कर की वसूली नहीं की गईं। अतः निम्न मामलों में गृह कर प्राप्ति रजिस्टर में गृह कर की प्राप्ति हेतु प्रविष्टियों न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब गृह कर प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टियां करके गृह कर की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	गृह कर गणना रजिस्टर पृष्ठ सं0	भवन मालिक का नाम	वार्ड नं0	वर्ष/अवधि	गृहकर प्रति वर्ष	प्राप्ति मांग राशि
1)	84	श्री धर्म पाल	6	2001—02 से 2013—14	1080	14,040.00
2)	85	श्री हेम राज	6	2001—02 से 2013—14	1080	14,040.00
3)	81	श्री रूप लाल	6	2012—13 से 2013—14	2200	4,400.00
4)	57	श्रीमती प्रमोद लता	7	2012—13, 2013—14	4050	8,100.00
5)	53	श्री सन्त राम	7	2013—14	4336	4,336.00
6)	51	श्री संजीव कुमार	7	2012—13, 2013—14	2108	4,216.00

7)	50	श्रीमती सुशमा देवी	7	2012–13, 2013–14	839	1,678.00
8)	49	श्रीमती बबिता शर्मा	7	2012–13, 2013–14	2,650	5,300.00
					कुल राशि	**₹56,110.00**

पैरा 19 ₹1,250/– मकान किराये भत्ते के रूप में अधिक भुगतान :–

अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद घुमारवीं के कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार देय मकान किराये भत्ते की राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया था। जिसके फलस्वरूप ₹1,250/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी उचित माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाए ।

क्र0 सं0	**कर्मचारी का नाम/पद**	**बैण्ड पे**	**अवधि/ माह**	**देय मकान किराया भत्ता**	**भुगतान किया गया मकान किराया भत्ता**	**अन्तर x माह**	**अधिक भुगतान**
1)	श्री सतपाल, वर्क सुपरवाईज़र	9480	11/12	350	400	50x1	50.00
2)	श्री कुलदीप चौहान, लिपिक	10300	12/12 से 11/13	350	400	50x12	600.00
3)	श्री जिया लाल, सामुदायिक प्रबन्धक	10300	12/12 से 11/13	350	400	50x12	600.00
						कुल राशि	**1,250.00**

पैरा 20 ₹564/– का अधिक भुगतान :–

प्रधान सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः फिन(सी) वी(7)5/2009, दिनांक 18.01.2012 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 01.12.2010 से अनुबन्ध राशि पर 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि प्रदान की जानी थी।

नगर परिषद घुमारवीं में अनुबन्ध पर कार्यरत श्री मनोज कुमार, लिपिक को उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर निम्न विवरणानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी।

दिनांक	अनुबन्ध राशि	वार्षिक वृद्धि 3% की दर से पुदान की गई	कुल वेतन
01.12.2010	7,810.00	240.00	8,050.00
01.12.2011	7,810.00	250.00	8,300.00
01.12.2012	7,810.00	250.00	8,550.00
01.12.2013	7,810.00	234.00	8,784.00

जबकि उपरोक्त अनुसार वार्षिक वृद्धि अनुबन्ध राशि पर 3 प्रतिशत की दर से निमन प्रकार से प्रदान की जानी थी।

दिनांक	अनुबन्ध राशि	अनुबन्ध राशि पर 3% वार्षिक वेतन वृद्धि	वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात् वेतन
01.12.2010	7,810.00	234.00	8,044.00
01.12.2011	7,810.00	234.00	8,278.00
01.12.2012	7,810.00	234.00	8,512.00
01.12.2013	7,810.00	234.00	8,746.00

अनियमित रूप से गणना करके वार्षिक वृद्धि प्रदान करने के कारण श्री मनोज कुमार, लिपिक को निम्न विवरणानुसार ₹564/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वसूली सुनिश्चित की जाए।

अवधि	देय वेतन	भुगतान किया गया वेतन	अन्तर x माह	अधिक भुगतान राशि
01.12.10 से 30.11.11	8044	8050	6 x 12	72.00
01.12.11 से 30.11.12	8278	8300	22 x 12	264.00

01.12.12 से 31.05.13	8512	8550	38 x 6	228.00

(01.06.2013 से नगर परिषद बिलासपुर स्थानान्त्रित)

कुल अधिक भुगतान राशि	**₹564.00**

पैरा 21 <u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

पैरा 22 <u>निष्कर्ष</u> :– लेखों के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः–V(27)-Fin(LAD)-Vol-II-4421-4422 दिनांकः05.08.2015 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि सचिव, नगर परिषद घुमारवीं को पैरा 1(ख) में दर्शाई गई गम्भीर अनियमितताओं पर उचित कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें।

पंजीकृत 2. सचिव, नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पैरा 1(ग) में वर्णित

नगर परिषद घुमारवीं के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने पर पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(क) अंकेक्षण अवधि 4/72 से 3/86

अवधि 4/72 से 3/86 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाये गए। अतः इस अवधि के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः कार्यकारी अधिकारी इस अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर शीघ्र कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ख) अंकेक्षण अवधि 4/86 से 3/93

1)	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2)	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
3)	पैरा 4	अनिर्णीत
4)	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
5)	पैरा 6	अनिर्णीत
6)	पैरा 7(क) से (ज्ञ)	अनिर्णीत
7)	पैरा 7(ख)(ख) से (ण)(ण) व (थ)(थ) से (द)(द)	अनिर्णीत
8)	पैरा 8 से 14	अनिर्णीत
9)	पैरा 15(1) से (4)	अनिर्णीत
10)	पैरा 15(9) व (10)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/93 से 3/95

1)	पैरा 4	आंशिक निर्णीत	₹90,000 की वसूली शेष
2)	पैरा 6	अनिर्णीत	
3)	पैरा 7(क)(ख	अनिर्णीत	
4)	पैरा 8, 9	अनिर्णीत	
5)	पैरा 10(1) से (3)	अनिर्णीत	
6)	पैरा 11(1) से (2)	अनिर्णीत	

7)	पैरा 12(1) से (2)	अनिर्णीत	
8)	पैरा 13(1) से (2)	अनिर्णीत	
9)	पैरा 14(1) से (24)	अनिर्णीत	
10)	पैरा 15(1) से (3)	अनिर्णीत	
11)	पैरा 16(1) से (22)	अनिर्णीत	
12)	पैरा 17	अनिर्णीत	
13)	पैरा 18(1) से (6)	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/95 से 3/2002

1)	पैरा 3	अनिर्णीत
2)	पैरा 4	अनिर्णीत
3)	पैरा 5	अनिर्णीत
4)	पैरा 6(क)(ख)	अनिर्णीत
5)	पैरा 7,8,9,10	अनिर्णीत
6)	पैरा 11(क) से (घ)	अनिर्णीत
7)	पैरा 12	अनिर्णीत
8)	पैरा 13(1) से 37	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2002 से 03/2007

1)	पैरा 4(8)(1) से (6)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 5(5)	अनिर्णीत	₹32,145 की राशि वसूली हेतु शेष
3)	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
4)	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
5)	पैरा 7(1)(4)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2007 से 03/2009

1)	पैरा 4(एफ)(i)(iii)	अनिर्णीत
2)	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3)	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
4)	पैरा 7(ख)(i)	अनिर्णीत
5)	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2009 से 03/2012</u>

1)	पैरा 3	समाप्त	अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹24,600/–, दिनांक 26.06.12 को जमा कर दी गई है।
2)	पैरा 4	समाप्त	उत्तर अपेक्षित नहीं
3)	पैरा 4(1)	समाप्त	–यथोपरि–
4)	पैरा 5	समाप्त	–यथोपरि–
5)	पैरा 5(1)	समाप्त	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है।
6)	पैरा 6	अनिर्णीत	
7)	पैरा 7	अनिर्णीत	
8)	पैरा 8	समाप्त	अनुपालना की समीक्षा उपरान्त
9)	पैरा 8(1)	समाप्त	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में
10)	पैरा 8(2)	समाप्त	₹6,654 की प्रविष्टि गृह कर रजिस्टर 20.11.2012 क्रम सं0 134 पर वसूली हेतु कर ली गई है
11)	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
12)	पैरा 8(4)	समाप्त	गृहकर पुनः निर्धारित करके गृहकर मांग रजिस्टर में प्रविष्टियां कर ली गई हैं।
13)	पैरा 8(5)	समाप्त	
14)	पैरा 8(6)	समाप्त	किराय प्रति रजिस्टर पृष्ठ–143 पर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।
15)	पैरा 9	अनिर्णीत	
16)	पैरा 9(1)	समाप्त	₹10,272/– चैक संख्याः 304329, दिनांक 18.03.2015 द्वारा पैन्शन ग्रेच्युटी खाते में जमा कर दिए गए।
17)	पैरा 10	समाप्त	आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।
18)	पैरा 11	समाप्त	अनुपालना की समीक्षा उपरान्त।

19)	पैरा 12	समाप्त	₹3,500 की वसूली जी–8 सं0 13/40, दिनांक 20.11.12 द्वारा कर ली गई।
20)	पैरा 13	समाप्त	₹14,400 की वसूली जी–8 सं0 50/41, दिनांक 27.11.12 द्वारा कर ली गई।
21)	पैरा 14	समाप्त	₹5,400 की वसूली जी–8 सं0 8/35, दिनांक 05.10.12 द्वारा कर ली गई।
22)	पैरा 15	अनिर्णीत	
23)	पैरा 16	अनिर्णीत	
24)	पैरा 17	समाप्त	₹200 की वसूली जी–8 सं0 8/35, दिनांक 05.10.12 द्वारा कर ली गई।
25)	पैरा 18	समाप्त	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में
26)	पैरा 19	अनिर्णीत	
27)	पैरा 20	समाप्त	₹84/– की वसूली जी–8 सं0 28/38, दिनांक 18.03.15 द्वारा कर ली गई है।
28)	पैरा 21	समाप्त	रद्दी की बिक्री दिनांक 29.05.12 को की गई है।
29)	पैरा 22	समाप्त	स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन दिनांक 29.11.13 को किया गया है।